डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन दिनांक 16 अगस्त, 2024, डिस्पेच दिनांक 16 अगस्त, 2024

| वर्ष 68 | अंक 06 | भोपाल | 16 अगस्त, 2024 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

नवाचार करने वाली सहकारी समितियों का बनेगा फेडरेशन : श्री सारंग

अच्छा काम करने वाली समिति होगी पुरस्कृत, हेल्प डेस्क भी बनेगा

सहकारिता मंत्री श्री सारंग ने सहकारिता के उत्पादों की प्रदर्शनी का किया शुभारंभ

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि सहकारिता में नवाचार करने वाली समितियों का प्रदेश स्तर पर फेडरेशन बनाया जाएगा। फेडरेशन के माध्यम से उनके उत्पाद के विक्रय की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। मंत्री श्री सारंग नवाचार के अंतर्गत जिला नोडल अधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने सहकारिता के उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।

अच्छा काम करने वाली समिति होगी पुरस्कृत

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारी समितियो का प्रदेश स्तर पर कॉम्पिटीशन होगा। इसके लिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। हर साल इसका आयोजन करने के निर्देश उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि इससे अग्रणी रहने के लिए खेलभावना से आगे रहने की आदत होगी। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि राज्य सहकारी संघ के माध्यम से प्रदेश स्तर पर हेल्प डेस्क भी बनाई जा रही है जो तकनीकी ज्ञान के साथ विक्रय में सहायता आदि प्रदान करेगी।

सहकारी संस्था के माध्यम से रोजगार

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के विजन एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूर्ण करने की दिशा में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता में विभिन्न नवाचार किया जा रहे हैं। हर क्षेत्र में सहकारी आंदोलन को मजबूत करते हुए सहकारिता से स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। हर क्षेत्र की खूबी को रोजगार में बदलने का प्रयास होगा। सरकारी आंदोलन को मजबूत करके सहकारी संस्था के माध्यम से रोजगार मिल सके, इसका प्रयास जारी है।

हर स्तर पर होगा काम

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता से समृद्धि हमारा संकल्प है। निश्चित रूप से देश में जो सहकारी आंदोलन चल रहा है, उसमें मध्य प्रदेश अव्वल रहे, इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। नवाचार विंग स्थापित कर हर जिले में उसके उत्पाद की विशेषता के साथ सहकारिता समिति बना रहे हैं। सुनिश्चित किया जा रहा है कि उन्हें नवाचार के माध्यम से हर तरह का सहयोग मिल सके। उन्होंने कहा कि वित्तीय अनुदान हो या टेक्निकल नॉलेज या फिर उत्पाद बेचने के लिए चयन स्थल स्थापित करने की बात हो, हर स्तर पर काम कर रहे हैं।

प्रदर्शनी का शुभारंभ

मंत्री श्री सारंग ने सहकारी समितियों के उत्पाद की प्रदर्शनी का शुभारंभ कर अवलोकन किया। उन्होंने चर्चा कर उत्पादों के बनाने से लेकर विक्रय तक की जानकारी ली। श्री सारंग ने प्रदर्शनी में उज्जैन के बटिक प्रिन्ट, झाबुआ के कड़कनाथ, मुरैना की शिल्पकला, खरगोन के यूनिक ऑर्ट और सोलर पॉवर, खण्डवा के प्याज उत्पादन, धार के बाग वस्त्र, मण्डला की कोदो-कुटकी उत्पाद, छिंदवाड़ा का गुलाल सहित प्रशिक्षित हस्तशिल्प कारीगरों द्वारा निर्मित हस्तशिल्प उत्पादों की प्रदर्शनी सह बिक्री का अवलोकन किया और उत्पादों की सराहना की।

मंत्री श्री सारंग ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में वहां की व्यवस्था और विशेषता को ध्यान में रखते हुए एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए नई सहकारी समितियों का गठन किया गया है। आमजन तक उत्पादों की जानकारी हो, इसके लिए समिति द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। जिलों में बनाए गए नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि चार-पांच माह में जो काम किया गया, उसकी प्रदर्शनी देखने को मिली। झाबुआ में कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गी की आज देश में ख्याति है। सहकारिता के माध्यम से कड़कनाथ पर काम करने वाले लोगों को

एकत्रित करके सहकारी संस्था बनवाई और अब इसका एक-एक सदस्य लगभग ढ़ाई लाख रुपये सालाना कमा रहा है। उन्होंने कहा कि बाग प्रिंट हो या कृषि उत्पादन या फिर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को भी सरकारी आंदोलन से जोड़ने का काम किया जा रहा है। समिति इस पर काम कर रही है। सोसाइटी सोलर लाइट का उत्पादन भी कर रही है, साथ ही मैन्युफैक्चर से सुलभ लाइट लेकर पंचायत स्तर पर भी योजना को पहुंचाने का काम कर रही है।

योजना का सीधा लाभ हितग्राहियों को

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि समिति के उत्पाद आम जनता तक पहुंचे, इस दिशा में काम किया जा रहा है। मंत्री श्री सारंग ने प्रतिभागियों से कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य उत्पाद को बनाने से लेकर विक्रय तक की प्रक्रिया की जानकारी आप तक पहुंचाना था। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण रस्मअदायगी नहीं रह जाए, इसके लिए अगली बार टेस्ट भी होगा, जिससे उसका आउटपुट मिले। लोग यहां खुद से सीख कर दूसरों को भी सिखाए। केंद्र और राज्य की योजना का सीधा-सीधा लाभ हितग्राहियों तक पहुंचे, यही उद्देश्य है।

मन, मस्तिष्क, भाव और भावनाओं के साथ करें काम

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि आपको कुछ नया नहीं करना है, पर हर काम को नए ढंग से करके आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि मन, मस्तिष्क, भाव और भावनाओं के साथ काम करें। प्रोडक्ट बनाने से लेकर विक्रय तक की भूमिका महत्वपूर्ण है।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समितियां

नई दिल्ली, सहकारिता मंत्रालय ने तीन राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समितियां स्थापित की हैं; निर्यात, जैविक उत्पाद और गुणवत्ता वाले बीजों के लिए एक-एक समितियां। इन समितियों को एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत किया गया है। सभी स्तरों की सहकारी समितियां, जो उपरोक्त प्रत्येक समिति के लिए निर्दिष्ट गतिविधियों में रुचि रखती हैं, सदस्य बनने के लिए पात्र हैं। विवरण इस प्रकार हैं:

(1) राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल): एनसीईएल को भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको), कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको), राष्ट्रीय कृषि सहकारी, मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड), गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड (जीसीएमएमएफ) तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। एनसीईएल की प्रारंभिक चुकता पूंजी 500 करोड़ रुपये है जिसमें पांच प्रमोटरों द्वारा प्रत्येक 100 करोड़ रुपये का योगदान है। इसकी अधिकृत शेयर पूंजी 2,000 करोड़ रुपये है। एनसीईएल की स्थापना सहकारी समितियों और संबंधित संस्थाओं की वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष निर्यात करने तथा अन्य संवर्धन गतिविधियों को चलाने के लिए की गई है। एनसीईएल सहकारी क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने में सहायता देगी, जिससे "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा मिलेगा। एनसीईएल के माध्यम से अधिक निर्यात होने से सहकारी समितियों की वस्तुओं और सेवाओं के विभिन्न स्तरों पर बाजार संपर्क बढ़ेंगे। इससे सहकारी क्षेत्र में अधिक रोजगार सृजित होंगे। एनसीईएल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक 5,438 सहकारी समितियों को सदस्यता प्रदान की जा चुकी है।

(2) राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल): एनसीओएल का संवर्धन एनडीडीबी, जीसीएमएमएफ, नेफेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) और एनसीडीसी की ओर से किया जाता है। एनसीओएल की आरंभिक चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपये है, जिसमें पांचों प्रवर्तकों द्वारा 20-20 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया है तथा अधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपये है। एनसीओएल की स्थापना जैविक उत्पादों के एकत्रीकरण, प्रमाणन, परीक्षण, खरीद, भंडारण, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग, लेबललिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक सुविधाओं, विपणन के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करने तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं और एजेंसियों की सहायता से जैविक उत्पादों के प्रचार और विकास गतिविधियों के साथ-साथ पीएसीएस/एफपीओ सहित अपने सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से जैविक किसानों को वित्तीय सहायता की व्यवस्था करने में सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है। एनसीओएल विभिन्न स्तरों पर सहकारी समितियों द्वारा जैविक उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रामाणिक और प्रमाणित जैविक उत्पादों के विपणन में सहायक होगी। एनसीओएल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक 3,772 सहकारी समितियों को सदस्यता प्रदान की गई है।

(3) भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल): बीबीएसएसएल को इफको, कृभको, नेफेड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और एनसीडीसी द्वारा प्रवर्तित किया जाता है। समिति की आरंभिक चुकता पूंजी 250 करोड़ रुपये है, जिसमें पांचों प्रवर्तकों द्वारा 50-50 करोड़ रुपये का योगदान है और अधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपये है।

बीबीएसएसएल की स्थापना सहकारी नेटवर्क के माध्यम से एकल ब्रांड के अंतर्गत गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन, खरीद और वितरण के लिए की गई है, ताकि फसल की पैदावार में सुधार हो और स्वदेशी प्राकृतिक बीजों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक प्रणाली विकसित की जा सके। बीबीएसएसएल सहकारी समितियों के माध्यम से भारत में गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे आयातित बीजों पर निर्भरता कम होगी, कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा, "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा मिलेगा और देश आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होगा। बीबीएसएसएल के माध्यम से गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन से देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे कृषि और सहकारी क्षेत्र में अधिक रोजगार पैदा होंगे। बीबीएसएसएल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अब तक 11,713 सहकारी समितियों को सदस्यता प्रदान की गई है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) सहकारी समितियों के नेटवर्क के साथ-साथ अन्य विपणन चैनलों के माध्यम से एकल ब्रांड के तहत गुणवत्ता वाले बीज वितरित करेगी।

बीबीएसएसएल गुणवत्ता संपन्न बीजों के उत्पादन, खरीद और वितरण के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने और आयातित बीजों पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए सभी वर्तमान सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की बीज कंपनियों के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करेगी।

सहकारिता में मत्स्य पालन

नई दिल्ली, सरकार ने 15.02.2023 को देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और अगले पांच वर्षों में देश के कवर न किए गए पंचायत/गांव में नई बहुउद्देशीय पीएसीएस या प्राथमिक डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करके जमीनी स्तर तक अपनी पहुंच को मबजूब बनाने के लिए योजना को मंजूरी दी है, जिसमें भारत सरकार के मत्स्य विभाग की निम्नलिखित योजनाओं सहित विभिन्न भारत सरकार की योजनाओं का तालमेल शामिल है:

I. प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) - पीएमएमएसवाई का उद्देश्य मछली उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और प्रबंधन, आधुनिकीकरण और मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने में बड़े अंतर को दूर करना है। इस योजना के तहत, लाभार्थी कुल परियोजना लागत/इकाई लागत के 40% से 60% तक की वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं।

II. मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना कोष (एफआईडीएफ) - एफआईडीएफ का उद्देश्य समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन क्षेत्र दोनों में ढांचागत सुविधाएं बनाना है। इस योजना में बर्फ संयंत्रों का निर्माण, कोल्ड स्टोरेज का विकास, मछली परिवहन और कोल्ड चेन नेटवर्क अवसंरचना, ब्रूड बैंकों की स्थापना, हैचरी का विकास, मछली प्रसंस्करण इकाइयाँ, मछली चारा मिलों/संयंत्रों और आधुनिक मछली बाजारों का विकास शामिल है। एफआईडीएफ के तहत परियोजनाएं उपर्युक्त अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए प्रति वर्ष 3% की ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र हैं।

मत्स्य पालन एवं अन्य सहकारी समितियों सहित नई प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना की यह योजना एनसीडीसी द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी), राष्ट्रीय स्तरीय सहकारी संघों और राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।

इसके अलावा, एनसीडीसी ने भारत के तटीय राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और ओडिशा में मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के रूप में विकास के लिए 910 प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों का चयन किया है और सहकारी क्षेत्र में 70 नए एफएफपीओ पंजीकृत किए हैं। एनसीडीसी ने 44 गहरे समुद्र में चलने वाले ट्रॉलरों की खरीद के लिए महाराष्ट्र सरकार और गुजरात की सहकारी समिति को वित्तीय सहायता भी प्रदान की है। उपरोक्त कदम मछली उत्पादन में लगे सीमांत मछुआरों सहित छोटे और सीमांत किसानों को अपेक्षित फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज, कौशल विकास, प्रसंस्करण और कोल्ड चेन अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करेंगे, जिससे उन्हें अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। अभिसरण के लिए पहचानी गई योजनाओं के तहत लाभ उठाकर, सीमांत मछुआरे विभिन्न मत्स्य पालन और जलीय कृषि से संबंधित बुनियादी सुविधाओं का आधुनिकीकरण/उन्नयन और स्थापना करने में सक्षम होंगे, जिससे उन्हें अपनी उत्पादकता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा देना

नई दिल्ली, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की पहल पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना - 10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन के तहत पीएसीएस को मजबूत बनाए जाने के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में एफपीओ के गठन और संवर्धन के लिए भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 1100 अतिरिक्त किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का लक्ष्य आवंटित किया गया है।

एफपीओ योजना के तहत प्रत्येक एफपीओ को 33 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, एफपीओ को बढ़ावा देने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन (सीबीबीओ) को प्रति एफपीओ 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एफपीओ और पीएसीएस के बीच उनके उत्पादों के पिछले और आगे के एकीकरण के लिए बाजार संपर्क विकसित किए जा रहे हैं। यह पहल किसानों को आवश्यक बाजार संपर्क प्रदान करके उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेगी।

एफपीओ का गठन मौजूदा पीएसीएस के सदस्यों के साथ किया जाना है, इस प्रकार, एफपीओ और पीएसीएस के बीच बाजार संबंध विकसित किए जाएंगे। इससे पीएसीएस के साथ-साथ उनके सदस्यों को भी अपनी उपज के बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे पीएसीएस को अपने व्यवसाय का विस्तार करने में भी मदद मिलेगी। एफपीओ मूल्य संवर्धन/प्रसंस्करण गतिविधियों के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और एफपीओ के इस व्यवसाय के लिए पीएसीएस कच्चे माल का प्रमुख स्रोत होंगी। इससे पीएसीएस को आय के नए और स्थिर स्रोत बनाने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना

नई दिल्ली, सहकारिता मंत्रालय, सहकारी क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने, सहकारी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और संबद्ध संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर काम कर रहा है।

उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित विश्वविद्यालय की रूपरेखा तैयार करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, राष्ट्रीय सहकारी समितियों/संघों, सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों आदि सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया गया है। विश्वविद्यालय अपने खर्चों को पूरा करने में परिचालन रूप से आत्मनिर्भर बनने का भी लक्ष्य रखेगा। प्रस्तावित विश्वविद्यालय सहकारी क्षेत्र के साथ घनिष्ठ समन्वय में काम करेगा और इसमें शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक, एकीकृत और मानकीकृत संरचना होगी ताकि मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों के सफल कार्यान्वयन के लिए सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षित जनशक्ति की स्थिर, पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

सहकारिता के माध्यम से सरकार ने आर्थिक विकास के साथ-साथ ग्रामीण सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया है

किसान की समृद्धि ही मोदी सरकार का लक्ष्य है

चीनी उत्पादन का सारा मुनाफा किसान के बैंक अकाउंट में पहुंचे, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए

दो साल में देश की सभी सहकारी चीनी मिलें इथेनॉल उत्पादन करने वाली हो

चीनी उद्योग से इथेनॉल की प्राप्ति 38 करोड़ लीटर थी, जो आज 370 करोड़ लीटर हो गई है

पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में देश ने चीनी उत्पादन सहित हर क्षेत्र में बहुत प्रगति की है

मोदी सरकार के इथेनॉल-ब्लेंडिंग के एक नीतिगत निर्णय से पेट्रोल का आयात बिल कम हुआ, पर्यावरण सुधरा, किसान लाभान्वित हुए और चीनी मिलों का मुनाफा बढ़ा

मोदी जी ने 2030 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है, इस लक्ष्य को हम 2025-26 तक ही प्राप्त कर लेंगे

नई दिल्ली, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह नई दिल्ली में NFCSF के 'चीनी उद्योग संगोष्ठी एवं राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार 2022-23' समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने सहकारिता के आठ क्षेत्रों में सहकारी चीनी मिलों को राष्ट्रीय दक्षता पुरस्कार प्रदान किए।

अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि बहुत पुराने समय से हमारा देश सहकारिता आंदोलन का साक्षी रहा है और सहकारिता हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। उन्होंने कहा कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक सहित अनेक राज्यों ने इसमें नेतृत्व की भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद सहकारिता आंदोलन में ज़रूरी बदलाव नहीं हुए और इसके कारण ये कुछ राज्यों तक सीमित रह गया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। उन्होंने कहा कि अलग सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद से सहकारिता क्षेत्र में बहुत काम हुआ है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013-14 में गन्ना उत्पादन का क्षेत्र 5 मिलियन हेक्टेयर था जिसे मात्र 10 साल में लगभग 18 प्रतिशत बढ़ाकर 6 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंचाने में हमें सफलता मिली है। गन्ने का उत्पादन 352 मिलियन टन था जो आज 40 प्रतिशत बढ़कर 491 मिलियन टन हो गया है। इसी प्रकार, उपज में 19 प्रतिशत और कुल चीनी उत्पादन में 58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इथेनॉल का उत्पादन और उसमें चीनी का डायवर्जन शून्य था, जो आज 4.5. मिलियन टन चीनी इथेनॉल उत्पादन में डायवर्जन कर पाते हैं। चीनी उद्योग से इथेनॉल की प्राप्ति पहले 38 करोड़ लीटर होती थी और उसका सीमित उपयोग होता था, जो आज 370 करोड़ लीटर हो गया है। श्री शाह ने कहा कि इन सब का सीधा फायदा किसानों की जेब में गया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के इथेनॉल-ब्लेंडिंग के एक नीतिगत निर्णय से पेट्रोल का आयात बिल कम हुआ, पर्यावरण सुधरा, किसान लाभान्वित हुए और चीनी मिलों का मुनाफा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि एक ही पहल से 20 प्रतिशत ब्लेंडिंग के महत्वपूर्ण निर्णय से 4 क्षेत्र में बहुआयामी फायदा मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है। उन्होंने कहा कि इसकी लगातार निगरानी होती है, प्रधानमंत्री जी स्वयं करते हैं, मंत्रियों का समूह करता है जो हर 3 माह में समीक्षा कर फैसला लेता है और इसी कारण हम समयपूर्व इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर सके हैं।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि जब बायोफ्यूल अलायंस के ज़रिए दुनियाभर में जागरूकता पैदा होगी तब इसका सबसे बड़ा फायदा हमारे गन्ना किसानों और चीनी मिलों को होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने सहकारिता के माध्यम से आर्थिक विकास के साथ-साथ ग्रामीण सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया है। एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायर्नमेंट इंप्रूवमेंट और चीनी मिलों की सस्टेनेबल ग्रोथ को भी हमने प्राप्त करने का काम किया है। श्री शाह ने कहा कि मोदी जी ने 2030 तक 20 प्रतिशत इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है लेकिन इस लक्ष्य को हम 2025-26 तक ही प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 5000 करोड़ लीटर पेट्रोल की बिक्री में से इथेनॉल की ज़रूरत 1 हज़ार करोड़ लीटर हो जाएगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि हमें चीनी मिलों को वायबल बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार, मल्टीडायमेंशनल बायोफ्यूल प्रोडक्शन प्लांट लगाने के लिए हरसंभव मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि नेफेड सभी किसानों का 100 प्रतिशत मक्का और दलहन MSP पर खरीदेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि ही हमारा लक्ष्य है। श्री शाह ने कहा कि मक्का और बांस से बनने वाले इथेनॉल के लिए सरकार ने 71.86 रूपए प्रति लीटर की उच्चतम दर रखी है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि कोऑपरेटिव चीनी मिलों ने 2022-23 में इथेनॉल आपूर्ति में लगभग 8% योगदान दिया है, इसे बढ़ाकर हमें 25% करना होगा। उन्होंने कहा कि NFCSF ने सरकार और चीनी मिलों, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और चीनी मिलों और मार्केट की स्थिति और चीनी मिलों के बीच ब्रिज बनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि यह 259 चीनी मिलों का संघ है और नौ राज्य संघ इसके साथ जुड़े हैं, इसीलिए इसका विस्तार होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि 10 साल के रोडमैप के तहत देशभर में गन्ना बुवाई के क्षेत्र की मैपिंग कर कोऑपरेटिव चीनी मिल की संख्या बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चीनी उत्पादन का सारा मुनाफा किसान के बैंक अकाउंट में पहुंचे, यह लक्ष्य होना चाहिए।

श्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद सरकार ने चीनी मिलों के लिए भी बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा कि लगभग 20 साल से लंबित 15000 करोड़ रूपए की कर देनदारी से प्रधानमंत्री मोदी ने एकबार में ही चीनी मिलों को निजात दिला दी। इसके साथ ही चीनी मिलों को इंडस्ट्रीज के बराबर ला दिया और NCDC की ऋण योजना में 1000 करोड़ रूपए के अनुदान को मंज़ूरी दी है, जिससे अगले 3 साल में 10000 करोड़ रूपए तक का ऋण दिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने सहकारी चीनी मिलों के लिए विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाया है। श्री शाह ने कहा कि शीरे पर 28 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर 5% करने का काम मोदी सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के तहत नेफेड, कृभको, इफ्को आदि ने लक्ष्य तय किया है कि ये संस्थान भी अगले 2 साल में अपना टर्नओवर 25% बढ़ाएंगे।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि हम जहां भी बैठे हों, वहां से आगे बढ़ने की सोच से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि NFCSF को लक्ष्य रखना चाहिए कि अगले 2 साल में सभी सरकारी चीनी मिलें इथेनॉल बनाने वाली बन जाएंगी। श्री शाह ने कहा कि हमें फेडरेशन को डायनेमिक बनाने और डिमांड तक सीमित न रखने पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिमांड ड्रिवन फेडरेशन बनाने की जगह डायनेमिक फेडरेशन बनानी चाहिए और हमें गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों की समृद्धि का लक्ष्य रख कर काम करना चाहिए।

सहकार से समृद्धि सहकारिता के लिए नई योजनाएं

नई दिल्ली। सहकारिता मंत्रालय ने 06 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के बाद से जमीनी स्तर पर सहकारी गतिविधियों को मजबूत एवं विस्तृत करने के लिए कई पहलें की हैं, जिनमें सहकारी क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के लिए कदम, जैसे "पैक्स के लिए मॉडल उप-नियम, उन्हें बहुउद्देशीय, बहुआयामी और पारदर्शी संस्थाएं बनाने के लिए", "कवर नहीं की गई पंचायतों में नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना", "सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण योजना", "राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण", "कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) का कम्प्यूटरीकरण", "कार्यात्मक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण", "राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस", "बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 में संशोधन", "आयकर अधिनियम में सहकारी समितियों को राहत", "सहकारी चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए पहल", "बीज, जैविक उत्पादों और निर्यात के लिए तीन नई राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी समितियों की स्थापना" आदि उठाए गए हैं।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई 54 पहलों का संक्षिप्त विवरण

सहकारिता मंत्रालय ने 06 जुलाई, 2021 को अपनी स्थापना के बाद से, "सहकार-से-समृद्धि" के दृष्टिकोण को साकार करने और देश में प्राथमिक से शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों तक सहकारी गतिविधियों को मजबूत और विस्तृत करने के लिए अनेक पहलें की हैं। अब तक की गई पहलों और प्रगति की सूची इस प्रकार है:

ए. प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत और पारदर्शी बनाना

1. पैक्स के लिए मॉडल उप-नियम, उन्हें बहुउद्देशीय, बहुआयामी और पारदर्शी संस्थाएं बनाने के लिए: सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय स्तर के परिसंघों, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी), जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) आदि सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श करके पैक्स के लिए मॉडल उप-नियम तैयार किए हैं और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सर्कुलेट किए हैं, जो पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियां करने, परिचालन में शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने में सक्षम बनाता है। पैक्स की सदस्यता को और ज्यादा समावेशी और व्यापक बनाने, महिलाओं और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के भी प्रावधान किए गए हैं। अब तक 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने मॉडल उप-नियमों को अपनाया है अथवा उनके मौजूदा उप-नियम मॉडल उप-नियमों के अनुरूप हैं।

2. कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स का सुदृढ़ीकरण: पैक्स को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार द्वारा 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें देश के सभी कार्यात्मक पैक्स को एक सामान्य ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना, उन्हें एसटीसीबी और डीसीसीबी के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना शामिल है। परियोजना के अंतर्गत 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 67,009 पैक्स स्वीकृत किए गए हैं। 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा हार्डवेयर खरीदे गए हैं। ईआरपी सॉफ्टवेयर पर कुल 25,674 पैक्स को ऑनबोर्ड किया गया है और 15,207 पैक्स लाइव हुए हैं।

3. कवर नहीं की गई पंचायतों में नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना: अगले पांच वर्षों में नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, एनसीडीसी और अन्य राष्ट्रीय स्तर के परिसंघों के सहयोग से सभी पंचायतों/गांवों को शामिल करते हुए नई बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 6,844 नई पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को पंजीकृत किया गया है।

4. सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अनाज भंडारण योजना: सरकार ने एआईएफ, एएमआई, एसएमएएम, पीएमएफएमई सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से पैक्स स्तर पर अनाज भंडारण के लिए गोदामों, कस्टम हायरिंग केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों और अन्य कृषि-अवसंरचना निर्माण योजना को मंजूरी प्रदान की है। इससे खाद्यान्नों की बर्बादी और परिवहन लागत कम होगी, किसानों को अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने और पैक्स स्तर पर ही विभिन्न कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। पायलट परियोजना के अंतर्गत 11 राज्यों के 11 पैक्स में गोदामों का निर्माण किया गया है और अब 500 अतिरिक्त पैक्स को पायलट परियोजना में शामिल किया जा रहा है।

5. ई-सेवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के रूप में पैक्स: सहकारिता मंत्रालय,

एमईआईटीवाई, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच पैक्स के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अपडेशन, स्वास्थ्य सेवाओं, पैन कार्ड और आईआरसीटीसी/बस/हवाई टिकट आदि जैसी 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब तक, 37,169 पैक्स ने ग्रामीण नागरिकों को सीएससी सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया है, जिससे इन पैक्स की आय में भी वृद्धि होगी।

6. पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन: सरकार ने एनसीडीसी के समर्थन से पैक्स द्वारा 1,100 अतिरिक्त एफपीओ बनाने की अनुमति प्रदान की है, उन ब्लॉकों में जहां अभी तक एफपीओ का गठन नहीं किया गया है या ब्लॉक किसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। इसके अलावा एनसीडीसी द्वारा सहकारी क्षेत्र में 992 एफपीओ का गठन किया गया है। यह किसानों को आवश्यक बाजार लिंकेज प्रदान करने और उनकी उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सहायक होगा।

7. पेट्रोल/डीजल आउटलेट्स के लिए पैक्स को प्राथमिकता: सरकार ने पेट्रोल/डीजल आउटलेट्स के आवंटन के लिए पैक्स को संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी2) में शामिल करने की अनुमति प्रदान की है। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) से प्राप्त सूचना के अनुसार, 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 270 पैक्स ने पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है।

8. पैक्स को थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा आउटलेट्स में बदलने की अनुमति: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के आधार पर मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंसी पैक्स को खुदरा आउटलेट्स में बदलने के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिससे पैक्स का मुनाफा बढ़ाया जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकें। थोक उपभोक्ता पंपों वाले 4 राज्यों से 109 पैक्स को खुदरा बिक्री केन्द्रों में परिवर्तन के लिए सहमति प्राप्त हुई है, जिनमें से 43 पैक्स ओएमसी से आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त कर चुकी हैं।

9. पैक्स अपनी गतिविधियों में विविधता लाने के लिए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्र: सरकार ने अब पैक्स को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करने की अनुमति प्रदान की है। इससे पैक्स को अपनी आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने का विकल्प प्राप्त होगा। चार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 31 पैक्स ने ऑनलाइन आवेदन जमा किए हैं।

10. ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाओं के पहुंच में सुधार लाने के लिए पैक्स को पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र बनाया गया: सरकार प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों को संचालित करने के लिए पैक्स को बढ़ावा दे रही है जो उन्हें अतिरिक्त आय स्रोत प्रदान करेगा और ग्रामीण नागरिकों के लिए जेनेरिक दवाओं तक पहुंच को आसान बनाएगा। अब तक, 4,341 पैक्स/सहकारी समितियों ने पीएम भारतीय जनऔषधि केंद्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, जिनमें से 2,594 पैक्स को पीएमबीआई द्वारा प्रारंभिक मंजूरी प्रदान की गई है और 674 ने राज्य ड्रग नियंत्रकों से दवा लाइसेंस प्राप्त किए हैं जो पीएम भारतीय जन औषधि केंद्रों के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं।

11. प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) के रूप में पैक्स: सरकार देश में किसानों को उर्वरक और संबंधित सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पीएमकेएसके संचालित करने के लिए पैक्स को बढ़ावा दे रही है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान में 38,141 पैक्स पीएमकेएसके के रूप में कार्य कर रही हैं।

12. पैक्स स्तर पर पीएम-कुसुम का अभिसरण: पैक्स से जुड़े किसान सौर कृषि जल पंपों को अपना सकते हैं और अपने खेतों में फोटोवोल्टिक मॉड्यूल स्थापित कर सकते हैं।

13. ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं (पीडब्ल्यूएस) का संचालन एवं रखरखाव करने के लिए पैक्स: ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स की विस्तृत पहुंच का उपयोग करने के लिए, सहकारिता मंत्रालय की पहल पर, जल शक्ति मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में पीडब्ल्यूएस के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) को पूरा करने के लिए पैक्स को पात्र एजेंसी बनाया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पंचायत/ग्राम स्तर पर प्रचालन एवं रख-रखाव सेवाएं प्रदान करने के लिए 16 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 1,833 पैक्स की पहचान/चयन की गई है।

14. बैंक मित्र सहकारी समितियों को डोरस्टेप वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए माइक्रो-एटीएम: डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों को डीसीसीबी और एसटीसीबी का बैंक मित्र बनाया जा सकता है। उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए, इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को 'डोर-स्टेप फाइनेंशियल सर्विसेज' प्रदान करने के लिए नाबार्ड के समर्थन से माइक्रो-एटीएम भी दिए जा रहे हैं। पायलट परियोजना के रूप में, गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिलों में बैंक मित्र सहकारी समितियों को लगभग 2,700 माइक्रो-एटीएम वितरित किए गए हैं। यह पहल अब गुजरात राज्य के सभी जिलों में लागू की जा रही है।

15. दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड: जिला सहकारी बोर्डों/राज्य सहकारी बैंकों की पहुंच का विस्तार करने और दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक नगदी प्रदान करने के लिए, सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वितरित किए जा रहे हैं जिससे वे तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान कर सकें और उन्हें अन्य वित्तीय लेनदेन करने में सक्षम बनाया जा सके। अब तक, गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिलों में 48,000 रुपे केसीसी वितरित किए गए हैं। यह पहल अब गुजरात राज्य के सभी

(शेष पृष्ठ 5 पर)

(पृष्ठ 4 का शेष)
जिलों में लागू की जा रही है।

16. मछली किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) का गठन: मछुआरों को बाजार लिंकेज और प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने के लिए, एनसीडीसी ने प्रारंभिक चरण में 69 एफएफपीओ पंजीकृत किए हैं। इसके अलावा, भारत सरकार के मत्स्य विभाग ने 225.50 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के साथ 1000 मौजूदा मत्स्य सहकारी समितियों को एफएफपीओ में परिवर्तित करने का काम एनसीडीसी को दिया गया है।

बी. शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों को मजबूत करना

17. यूसीबी को अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए नई शाखाएं खोलने की अनुमति: यूसीबी अब आरबीआई के पूर्व अनुमोदन के बिना पिछले वित्तीय वर्ष में शाखाओं की मौजूदा संख्या का 10% (अधिकतम 5 शाखाएं) तक नई शाखाएं खोल सकती हैं।

18. यूसीबी को आरबीआई द्वारा अपने ग्राहकों को डोरस्टेप सेवाएं प्रदान करने की अनुमति: यूसीबी द्वारा अब डोरस्टेप बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। इन बैंकों के खाताधारक अब घर पर विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं जैसे नकद निकासी, नकद जमा, केवाईसी, डिमांड ड्राफ्ट और पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाणपत्र आदि।

19. सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का एकमुश्त निपटान करने की अनुमति: सहकारी बैंक, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से, अब तकनीकी निरस्तीकरण के साथ-साथ उधारकर्ताओं के साथ निपटान की प्रक्रिया भी कर सकते हैं।

20. यूसीबी के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्य प्राप्ति की समय सीमा में बढ़ोत्तरी: आरबीआई ने यूसीबी के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्य प्राप्ति की समयसीमा दो वर्षों यानी 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दी है।

21. यूसीबी के साथ नियमित बातचीत के लिए आरबीआई में नामित एक नोडल अधिकारी: निकट समन्वय और केंद्रित बातचीत के लिए सहकारी क्षेत्र की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए, आरबीआई ने एक नोडल अधिकारी अधिसूचित किया है।

22. ग्रामीण और शहरी सहकारी बैंकों के लिए आरबीआई द्वारा व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा दोगुनी से अधिक की गई:

i.शहरी सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा को 30 लाख रुपये से दोगुना बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दिया गया है।

ii.ग्रामीण सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा को 30 लाख रुपये से ढाई गुना बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया गया है।

23. ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक अचल संपत्ति/आवासीय आवास क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम होंगे: इससे उनके कारोबार में विविधता आएगी: इससे न केवल ग्रामीण सहकारी बैंकों को अपने कारोबार में विविधता लाने में मदद मिलेगी बल्कि आवास सहकारी समितियों को भी लाभ होगा।

24. सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क में कमी: सहकारी बैंकों को 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (एईपीएस) से जोड़ने के लिए लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से जोड़कर कम कर दिया गया है। सहकारी वित्तीय संस्थान भी पूर्व-उत्पादन चरण के पहले तीन महीनों के लिए मुफ्त सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। इससे किसान अब बायोमेट्रिक्स के माध्यम से अपने घरों पर ही बैंकिंग सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

25. गैर-अनुसूचित यूसीबी, एसटीसीबी और डीसीसीबी को सीजीटीएमएसई योजना में सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) के रूप में अधिसूचित किया गया: इससे ऋण देने में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकेगी। सहकारी बैंक अब दिए गए ऋण पर 85 प्रतिशत तक जोखिम कवरेज का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, सहकारी क्षेत्र के उद्यम अब सहकारी बैंकों से आनुशंगिक-मुक्त ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

26. शहरी सहकारी बैंकों को शामिल करने के लिए समय-निर्धारण मानदंडों की अधिसूचना: शहरी सहकारी बैंक जो 'वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित' (एफएसडब्ल्यूएम) मानदंडों को पूरा करते हैं और पिछले दो वर्षों के लिए टियर 3 के रूप में वर्गीकरण के लिए अपेक्षित न्यूनतम जमा को बनाए रखते हैं, वह अब भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की अनुसूची-II में शामिल होने और 'अनुसूचित' दर्जा प्राप्त करने के पात्र हैं।

27. गोल्ड लोन के लिए आरबीआई द्वारा मौद्रिक सीमा दोगुनी की गई: भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएसएल लक्ष्यों को पूरा करने वाले शहरी सहकारी बैंकों के लिए मौद्रिक सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दी है।

28. शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन: भारतीय रिजर्व बैंक ने यूसीबी क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संगठन (यूओ) का गठन करने के लिए नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (एनएएफसीयूबी) को मंजूरी प्रदान की है, जो लगभग 1,500 यूसीबी को आवश्यक आईटी अवसंरचना और परिचालन सहायता प्रदान करेगा।

सी. आयकर अधिनियम में सहकारी समितियों को राहत

29. एक से 10 करोड़ रुपये के बीच की आय वाली सहकारी समितियों के लिए अधिभार 12% से घटाकर 7% किया गया: इससे सहकारी समितियों पर आयकर का बोझ कम पड़ेगा और उनके सदस्यों के लाभ हेतु काम करने के लिए उनके पास अधिक पूंजी उपलब्ध होगी।

30. सहकारी समितियों के लिए मैट 18.5% से घटाकर 15% किया गया: इस प्रावधान के साथ, अब इस संबंध में सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच समानता है।

31. आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी के अंतर्गत नकद लेनदेन में राहत: आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी के अंतर्गत सहकारी समितियों द्वारा नकद लेनदेन में कठिनाइयों को दूर करने के लिए, सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है जिसमें कहा गया है कि एक दिन में सहकारी समिति द्वारा अपने वितरक के साथ किए गए 2 लाख रुपये से कम के नकद लेनदेन पर अलग से विचार किया जाएगा और उस पर आयकर जुर्माना नहीं लगेगा।

32. नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती: सरकार ने निर्णय लिया है कि 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों के लिए 30% तक की पिछली दर की तुलना में 15% की कम कर दर और अधिभार लगाया जाएगा। इससे विनिर्माण क्षेत्र में नई सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहन मिलेगा।

33. पीएसीएस और पीसीएआरडीबी द्वारा नकद जमा और नकद ऋण की सीमा में वृद्धि: सरकार ने पीएसीएस और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) द्वारा नकद जमा और नकद ऋण की सीमा 20,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति सदस्य कर दी है। यह प्रावधान उनकी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाएगा, उनके व्यवसाय को बढ़ाएगा और उनके सदस्यों को लाभान्वित करेगा।

34. नकद निकासी में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की सीमा में वृद्धि: सरकार ने स्रोत पर कर कटौती के बिना सहकारी समितियों की नकद निकासी सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया है। इस प्रावधान से सहकारी समितियों को स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की बचत होगी, जिससे उनकी तरलता बढ़ेगी।

डी. सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार

35. चीनी सहकारी मिलों को आयकर से राहत: सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि अप्रैल, 2016 से किसानों को उचित और लाभकारी या राज्य सरकार द्वारा सलाह दिए गए मूल्य तक गन्ने की अधिक कीमतों का भुगतान करने के लिए सहकारी चीनी मिलों पर अतिरिक्त आयकर नहीं लगाया जाएगा।

36. चीनी सहकारी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लंबित मुद्दों का निपटारा: सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2023-24 में एक प्रावधान किया है, जिसमें चीनी सहकारी समितियों को आकलन वर्ष 2016-17 से पहले की अवधि के लिए गन्ना किसानों को अपने भुगतान के व्यय का दावा करने की अनुमति दी गई है, जिससे उन्हें 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की राहत प्राप्त हुई है।

37. चीनी सहकारी मिलों को मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की ऋण योजनाएं शुरू की गई: सरकार ने एनसीडीसी के माध्यम से इथेनॉल संयंत्रों या सह-उत्पादन संयंत्रों की स्थापना या कार्यशील पूंजी या सभी तीनों उद्देश्यों के लिए एक योजना शुरू की है। एनसीडीसी द्वारा अब तक 36 सहकारी चीनी मिलों के लिए 5746.76 करोड़ रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की गई है।

38. इथेनॉल की खरीद में सहकारी चीनी मिलों को वरीयता: इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा इथेनॉल खरीद के लिए सहकारी चीनी मिलों को अब निजी कंपनियों के बराबर रखा गया है।

39. शीरे पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% करने का निर्णय: सरकार ने शीरे पर जीएसटी को 28% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है, जिससे सहकारी चीनी मिलें उच्च मार्जिन के साथ डिस्टिलरी को शीरा बेचकर अपने सदस्यों के लिए अधिक लाभ अर्जित करने में सक्षम होंगी।

ई. तीन नई राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य समितियां

40. प्रमाणित बीजों के लिए नई राष्ट्रीय बहु-राज्यीय सहकारी बीज समिति: सरकार ने एमएससीएस अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक नई शीर्ष बहु-राज्य सहकारी बीज समिति की स्थापना की है, जिसका नाम भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) है, जो एकल ब्रांड के अंतर्गत गुणवत्ता वाले बीज की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है। बीबीएसएसएल ने अब तक रबी मौसम के दौरान 366 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं, सरसों और दलहन (चना, मटर) के ब्रीडर बीज लगाए हैं। इसी प्रकार, खरीफ मौसम के दौरान 148.26 हेक्टेयर भूमि पर पेडी, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार और ग्वार के ब्रीडर बीज लगाए हैं। अब तक, 11714 पैक्स/सहकारी समितियां बीबीएसएसएल की सदस्य बन चुकी हैं।

41. जैविक खेती के लिए नई राष्ट्रीय बहु-राज्यीय सहकारी जैविक सोसायटी: सरकार ने एमएससीएस अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रमाणित और प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) नामक एक नई शीर्ष बहु-राज्य सहकारी जैविक समिति की स्थापना की है। अब तक 3,775 पैक्स/सहकारी समितियां एनसीओएल की सदस्य बन चुकी हैं। अब तक, एनसीओएल द्वारा "भारत ऑर्गेनिक्स" ब्रांड के अंतर्गत 12 जैविक उत्पादों को लॉन्च किया गया है।

42. निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई राष्ट्रीय बहु-राज्य सहकारी निर्यात सोसायटी: सरकार ने सहकारी क्षेत्र से निर्यातों पर मजबूती प्रदान करने के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में एमएससीएस अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक नई शीर्षस्थ बहु-राज्यीय सहकारी निर्यात सोसायटी, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) की स्थापना की है। अबतक लगभग 7,700 पैक्स/सहकारी समितियां एनसीईएल की सदस्य बन चुकी हैं। एनसीईएल द्वारा कुल 8,15,007 मीट्रिक टन वस्तुओं का निर्यात किया गया है, जिसमें से 8,01,790 मीट्रिक टन चावल, 7,685 मीट्रिक टन प्याज, 4,507 मीट्रिक टन चीनी, 1,025 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात किया गया है।

एफ. सहकारी समितियों में क्षमता निर्माण

43. राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा: अपनी पहुंच बढ़ाकर, एनसीसीटी ने वित्त वर्ष 2023-24 में 3,619 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 2,21,478 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। अप्रैल से जून 2024 तक, एनसीसीटी ने 435 कार्यक्रमों के त्रैमासिक लक्ष्य के मुकाबले 494 कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 10,875 प्रतिभागियों के लक्ष्य के मुकाबले 19,591 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है।

44. सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना: सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षित जनशक्ति की सतत और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर के सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा कैबिनेट नोट तैयार किया गया है।

जी. ईज ऑफ डूईंग बिजनेस' के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

45. केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण: बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय को कम्प्यूटरीकृत किया गया है, जो समयबद्ध रूप से आवेदनों और सेवा अनुरोधों को संसाधित करने में सहायता प्रदान करेगा।

46. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में आरसीएस के कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण की योजना: सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूईंग

(शेष पृष्ठ 5 पर)

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए गोदाम

नई दिल्ली, देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 31.05.2023 को "सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना" को मंजूरी दी, जिसे प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। इस योजना में भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं, जैसे कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), कृषि विपणन अवसंरचना योजना (एएमआई), कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन (एसएमएएम), बागवानी के संपूर्ण विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना (पीएमएफएमई) आदि को आपस में जोड़ने के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समिति (पीएसीएस - पैक्स) स्तर पर विभिन्न कृषि बुनियादी ढांचे का निर्माण शामिल है। इसमें गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां, उचित मूल्य की दुकानें आदि शामिल हैं। इस योजना को विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नाबार्ड, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (एनएबीसीओएनएस), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) आदि के सहयोग से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने पीएसीएस स्तर पर कार्यान्वित कर रहा है।

कृषि अवसंरचना के निर्माण की अनुमानित लागत हर क्षेत्र में अलग-अलग होती है, जो क्षेत्र में स्थल की आकृति, श्रम की लागत, पीएसीएस के चुने गए परियोजना घटकों, गोदाम के आकार आदि पर निर्भर करती है।

पीएसीएस स्तर पर विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता के निर्माण का उद्देश्य किसानों को विभिन्न लाभ प्रदान करना है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: वे प्राथमिक कृषि ऋण समिति यानी पैक्स में निर्मित गोदाम में अपनी उपज का भंडारण कर सकेंगे और फसल के अगले चक्र के लिए ब्रिज फाइनेंस का लाभ उठा सकेंगे तथा अपनी पसंद के समय में उपज बेच सकेंगे, या अपनी पूरी फसल पीएसीएस को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बेच सकेंगे, ताकि वे वे अपनी उपज को मजबूरी में घाटे पर बेचने से बच सकेंगे।

किसान भाई सोयाबीन में कीटों को नियंत्रण के लिए कीटनाशक का उपयोग करें

सीहोर : किसान भाई खरीफ फसल सोयाबीन में पत्ती काटने वाले कीट व चक्र भंग, मक्का में इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक के अनुसार समन्वित कीट नियंत्रण के अंतर्गत प्रकाश प्रपंच, फेरोमेन ट्रैप, टी-आकार की खूंटी, जैविक व अनुशंसित रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग करें। सोयाबीन में कीटों के नियंत्रण के लिए ब्लू बीटल कीट- 4 बीटल। हरी अर्द्धकुण्डलक इल्ली- 4 लार्वा (फूल के समय)। हरी अर्द्धकुण्डलक इल्ली 3 लावा (फली बनते समय)। तम्बाकू की इल्ली- 10 लावा। चने की इल्ली- 10 लावा। सोयाबीन में प्रति हैक्टेयर छिड़काव करें और ब्लू बीटल के लिए क्विनालफॉस 25 लेम्डा ई.सी. 1 लीटर। तना मक्खी के लिए थायोमिथाक्जाम सायहेलोथ्रिन 125 मिली। क्लोरेंट्रानिली प्रोल+लेम्डासायहेलोविन 200 मिली। लेम्डासायहेलोथ्रिन 4.90 सी.एस. 300 मिली। सफेद मक्खी के लिए बीटासायफ्लूबिन + इमिडाक्लोप्रिड 350 मिली। एसीटामिप्रिड बाइफेनथ्रेन 250 ग्राम। सेमी लूपर/चने की इल्ली के लिए क्लोंट्रानिलीप्रोल 18.5 एस.सी. 150 मिली। टेट्रानिलीप्रोल 250-300 मिली। स्पाइनेटोरम 11.7 एस.सी. 450 मिली। फ्लूबेंडामाइड 39.35 एस.सी. 150 मिली। इमामेक्टिन बेंजोएट 1.90 ई.सी. 425 मिली। प्रोफेनोफॉस + साइपरमेथ्रिन 1.25 लीटर। वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक द्वारा अनुशंसित हैं, जिनमें से किसी एक कीटनाशक का उपयोग करें।

सोयाबीन में कीटों का जैविक नियंत्रण

सोयाबीन में कीटों का जैविक नियंत्रण के लिए टी- आकार की खूंटी 40-50 प्रति हैक्टेयर। फेरोमेन ट्रेप- 12-15 प्रति हैक्टेयर । ब्यूवेरिया बेसियाना 1 लीटर प्रति हैक्टेयर। बेसिलस थूरूजेनेसिस 1 किग्रा प्रति एच.एन. पी.व्ही. 250 एल.ई. प्रति एस.एल. एन.पी.व्ही. 250 एल.ई. प्रति हैक्टेयर। सोयाबीन व उड़द को पीला मोजेक रोग से बचाएं. और रोग का प्रकोप दिखते ही ग्रसित पौधों को उखाड़कर तुरंत नष्ट करें। सिंथेटिक पाइराथ्राइट्स कीटनाशक का उपयोग न करें। शुरुआती अवस्था में ही थायोमिथावजाम 25 डब्ल्यू.जी. या एसीटामिप्रिड 20 एस.पीमात्रा 60 ग्राम/एकड़ की दर से छिड़काव करें।नैनो यूरिया तरल (प्लस).. फसलों में नैनो यूरिया की 4 मिली मात्रा/लीटर पानी में घोलकर पहला छिड़काव 35-40 दिन पर, दूसरा अंकुरण से 55-60 दिन बाद व तीसरा फसल की जरूरत पर करें।

(पृष्ठ 5 का शेष)

सहकारिता के लिए नई योजनाएं

बिजनेस और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पारदर्शी कागज रहित विनियमन के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए, आरसीएस कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण के लिए एक केंद्र प्रायोजित परियोजना को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को हार्डवेयर की खरीद, सॉफ्टवेयर के विकास आदि के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।

47. कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) का कम्प्यूटरीकरण: दीर्घावधिक सहकारी ऋण संरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए, 13 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैली कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) की 1,851 इकाइयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। नाबार्ड, परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है और एआरडीबी के लिए राष्ट्रीय स्तर का सॉफ्टवेयर विकसित करेगा। परियोजना के अंतर्गत हार्डवेयर, विरासत डेटा के डिजिटलीकरण के लिए समर्थन, कर्मचारियों को प्रशिक्षण आदि प्रदान किया जाएगा। अब तक 10 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, हार्डवेयर की खरीद, डिजिटलीकरण और समर्थन प्रणाली की स्थापना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 में 8 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में 4.26 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

एच. अन्य पहल

48. प्रामाणिक और अद्यतन डेटा भंडार के लिए नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस: पूरे देश में सहकारिताओं से संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं के नीति निर्माण और कार्यान्वयन में हितधारकों की सुविधा के लिए राज्य सरकारों के समर्थन से सहकारिताओं का एक डेटाबेस तैयार किया गया है। अब तक, लगभग 8.09 लाख सहकारी समितियों के डेटा को डेटाबेस में शामिल किया गया है।

49. नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का निर्माण: 'सहकार-से-समृद्धि' के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारी नीति तैयार करने के लिए पूरे देश से 49 विशेषज्ञों और हितधारकों की एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है।

50. बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2023: शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही बढ़ाने, चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाने और बहु-राज्य सहकारी समितियों में 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को शामिल करने के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 में संशोधन किया गया है।

51. जीईएम पोर्टल पर सहकारी समितियों को 'खरीदारों' के रूप में शामिल करना: सरकार ने सहकारी समितियों को जीईएम पर 'खरीदार' के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति प्रदान की है, जिससे वे आर्थिक खरीद और अधिक पारदर्शिता की सुविधा प्राप्त करने के लिए 67 लाख से अधिक विक्रेताओं से सामान और सेवाएं खरीद सकते हैं। अब तक, 559 सहकारी समितियों को खरीदारों के रूप में जीईएम पर शामिल किया गया है।

52. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) का सीमा और पहुंच बढ़ाने के लिए विस्तार: एनसीडीसी ने विभिन्न क्षेत्रों में नई योजनाएं शुरू की हैं जैसे एसएचजी के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घावधिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार' और डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार'। वित्त वर्ष 2023-24 में एनसीडीसी द्वारा 60,618.47 करोड़ रुपये की कुल वित्तीय सहायता वितरित की गई है। एनसीडीसी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 19,287.17 करोड़ रुपये का वितरण किया है। भारत सरकार ने एनसीडीसी को निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के पालन के अधीन, सरकारी गारंटी के साथ 2,000 करोड़ रुपये के बांड जारी करने की अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा, एनसीडीसी 6 पूर्वोत्तर राज्यों – अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में उप-कार्यालय स्थापित कर रहा है, जिसका उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं को सहकारी समितियों तक उनके डोरस्टेप तक ले जाना है।

53. एनसीडीसी द्वारा गहरे समुद्र में ट्रॉलरों के लिए वित्तीय सहायता: एनसीडीसी भारत सरकार के मत्स्य विभाग के समन्वय से गहरे समुद्र में ट्रॉलरों से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। एनसीडीसी द्वारा विभिन्न वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई हैं जैसे 20.30 करोड़ रुपये की ब्लॉक लागत पर महाराष्ट्र में 14 गहरे समुद्री ट्रॉलरों की खरीद के लिए 11.55 करोड़ रुपये, 46.74 करोड़ रुपये की ब्लॉक लागत पर समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए राजमाता विकास मच्छीमार सहकारी संस्था लिमिटेड, मुंबई को 37.39 करोड़ रुपये, केरल सरकार की एकीकृत मत्स्य विकास परियोजना (आईएफडीपी) के लिए 32.69 करोड़ रुपये और एनसीडीसी ने 36 करोड़ रुपए की ब्लॉक लागत से 30 गहरे समुद्र में चलने वाले ट्रालरों की खरीद के लिए श्री महावीर मच्छीमार सहकारी मंडली लिमिटेड, गुजरात के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

54. सहारा ग्रुप ऑफ सोसायटी के निवेशकों को रिफंड: सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पारदर्शी रूप से भुगतान करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है। वास्तविक जमाकर्ताओं की पहचान करने और उनके द्वारा जमा राशियों और दावों का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद रिफंड पहले ही शुरू हो चुका है।

पृष्ठ 1 का शेष)

नवाचार करने वाली सहकारी समितियों ....

विक्रय के लिए ऐसी जगह का चयन किया जाए, जहां लोग पहुंचे हो। अगली बार के प्रशिक्षण में ऑफिस ऑपरेशन सिस्टम के ट्रेनिंग सेशन को भी जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समिति के रजिस्ट्रेशन से लेकर अर्हता, समन्वय, पत्राचार आदि पर भी जानकारी देना उचित होगा। उन्होंने कहा कि यह मेरा सपना है कि सहकारिता बड़ा उपक्रम बने। प्रदेश के बच्चों को रोजगार मिल सके। इसलिए प्रशिक्षण में जो सीखा है उसको समाज को दें जिससे आपको लोग याद रखें।

उल्लेखनीय है कि सहकारिता विभाग द्वारा नवाचार के तहत प्रदेश के सभी 52 जिलों में नोडल अधिकारियों के रूप में (अंकेक्षण अधिकारी/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक/सहकारी निरीक्षक/उप अंकेक्षक) की नियुक्ति की गई है। फरवरी 2024 में सभी 52 जिलों के नोडल अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में 52 जिलों से 47 नोडल अधिकारियों ने भाग लिया। प्रत्येक जिले से नवाचार में चिन्हित नोडल अधिकारी को नवाचार के तहत गठित सहकारी संस्थाओं को तकनीकी ज्ञान, प्रबंधकीय कौशल एवं पोषण करने में सक्षम करने के लिये इस कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रियाओं, स्टार्टअप संबंधी प्रक्रिया, उद्यानिकी खाद्य एवं प्रसंस्करण की विभिन्न नवाचार योजनाओं, सौर ऊर्जा एवं सोलर पैनल के व्यावसायिक उपयोग, प्रियदर्शनी स्टोर्स पर नवाचार उत्पादों के विक्रय, उत्पादों की प्रदर्शनी आदि पर सेशन आयोजित किए गए।

मंत्री श्री सारंग ने कार्यशाला में प्रतिभागियों से कार्यशाला के संबंध में फीडबेक लिया। उन्हें प्रमाण-पत्र वितरित किये। इस मौके पर श्री मनोज कुमार सरियाम, पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र., अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता, उप सचिव श्री मनोज सिन्हा, श्री विमल श्रीवास्तव संयुक्त आयुक्त सहकारिता, श्री संजय मोहन भटनागर, संयुक्त आयुक्त सहकारिता, राज्य सहकारी संघ के महाप्रबंधक श्री संजय सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस के साथ समझौता ज्ञापन

नई दिल्ली, सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अद्यतन, स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि सेवाएं समेत सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) द्वारा प्रदान की जा रही 300 से अधिक ई-सेवाएं के लिए सक्षम बनाया जा सके।

सीएससी के रूप में कार्यरत पीएसीएस, सीएससी पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न ई-सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

प्रधानमंत्री कल्याण योजनाएँ: आयुष्मान भारत योजना, पीएम किसान मानधन योजना, पीएम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ई-श्रम पंजीकरण, पीएम किसान सम्मान निधि योजना आदि।

केंद्र सरकार की सेवाएँ: आधार, पैन कार्ड, जीवन प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पानी और बिजली बिल भुगतान सेवाएँ, आईटीआर दाखिल करना, ई-स्टाम्प, आदि।

राज्य सरकार की सेवाएँ: ई-जिला सेवाएँ, पीडीएस सेवाएँ, नगरपालिका सेवाएँ, आदि।

वित्तीय समावेश सेवाएँ: बैंकिंग, ऋण, बीमा, पेंशन, डिजीपे, फास्टैग, आदि

आधार से संबंधित सेवाएँ: पंजीकरण, अद्यतन, ई-केवाईसी;

कृषि सेवाएँ: सीएससी ई-कृषि पोर्टल, कृषि टेली-परामर्श और ई-पशु चिकित्सा, मृदा परीक्षण केंद्र, किसान ई-मार्ट, किसान क्रेडिट कार्ड, आदि।

ई-मोबिलिटी और स्मार्ट उत्पाद: ग्रामीण ई-मोबिलिटी डीलरशिप, स्मार्ट उत्पाद, आदि।

बी2सी सेवाएँ: आईआरसीटीसी/बस/हवाई टिकट बुकिंग, मोबाइल/डीटीएच रिचार्ज, ई-कॉमर्स, आदि।

अन्य सेवाएँ: स्त्री स्वाभिमान पहल, स्पर्श रक्षा पेंशन, आदि।

सीएससी के डिजिटल सेवा पोर्टल पर रेलवे और फ्लाइट टिकट बुकिंग का प्रावधान है, जिसके माध्यम से सीएससी के रूप में कार्यरत पीएसीएस ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों तक इन सेवाओं का विस्तार कर सकते हैं।

इस पहल के माध्यम से, आम नागरिक, विशेष रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, अपने निवास स्थान के निकट 300 से अधिक ई-सेवाओं, जिनमें ऊपर बताई गई सेवाएँ शामिल हैं, तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनके रहने और व्यवसाय करने में आसानी होगी। इसके अलावा, यह पीएसीएस को आय के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करता है, जिससे अंततः इससे जुड़े करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। इससे न केवल पीएसीएस को विभिन्न नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए नोडल केंद्रों में परिवर्तित किया जा सकेगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई बनने में भी मदद मिलेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

भारत सरकार 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना को कार्यान्वित कर रही है, जिसमें सभी कार्यात्मक पैक्स को ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर पर लाना, उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना शामिल है। इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय स्तर का कॉमन सॉफ्टवेयर नाबार्ड द्वारा विकसित किया गया है और 21.07.2024 तक 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 25,904 पैक्स को ईआरपी सॉफ्टवेयर पर शामिल किया गया है।

पैक्स की व्यवहारिकता बढ़ाने और उन्हें पंचायत स्तर पर जीवंत आर्थिक इकाई बनाने के लिए उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने के लिए, सभी हितधारकों के परामर्श के बाद सरकार द्वारा पैक्स के लिए मॉडल उपनियम तैयार किए गए हैं, इससे पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करके अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने में सहायता मिलेगी, जिसमें डेयरी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीज, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीजल वितरण, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हायरिंग सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस), सामुदायिक सिंचाई, व्यवसाय संवाददाता गतिविधियां आदि शामिल हैं। मॉडल उपनियमों को अपनाकर, पीएसीएस ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्य किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बहु-सेवा केंद्रों के रूप में काम करने में सक्षम होंगे। वे पैक्स की परिचालन दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने में सहायता करेंगे; किसान सदस्यों को कृषि ऋण और विभिन्न गैर-ऋण सेवाएं प्रदान करके उन्हें आय के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करेंगे।

पैक्स के कम्प्यूटरीकरण परियोजना का उद्देश्य पैक्स के लिए मॉडल उप-नियमों के अंतर्गत निर्धारित 25 से अधिक आर्थिक गतिविधियों के लिए एक व्यापक ईआरपी समाधान प्रदान करना है, जिसमें विभिन्न मॉड्यूल जैसे कि अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक ऋणों के लिए वित्तीय सेवाएं, खरीद संचालन, सार्वजनिक वितरण दुकानें (पीडीएस) संचालन, व्यवसाय नियोजन, भंडारण, बिक्री, उधार, परिसंपत्ति प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन आदि शामिल हैं।

अब तक, 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 67,009 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके लिए संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में 654.23 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। स्वीकृत पैक्स की संख्या और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आज तक जारी किए गए भारत सरकार के हिस्से का विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर, कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम (सीएएस) और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) के माध्यम से पैक्स के प्रदर्शन में दक्षता लाता है। इसके अलावा, पीएसीएस में प्रशासन और पारदर्शिता में भी सुधार होता है, जिससे ऋणों का तेजी से वितरण, लेन-देन की लागत में कमी, भुगतान में असंतुलन में कमी, डीसीसीबी और एसटीसीबी के साथ निर्बाध लेखा-जोखा होता है। यह किसानों के बीच पैक्स के कामकाज में विश्वसनीयता बढ़ाएगा और इस प्रकार "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देगा।

लगभग 1.05 लाख पैक्स से 13 करोड़ से अधिक किसान सदस्य जुड़े हुए हैं। यह परियोजना किसानों को अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक ऋण सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाती है। इसके अलावा, पैक्स का कम्प्यूटरीकरण भी किसानों को पैक्स स्तर पर ही इन सेवाओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, जैसा कि पैक्स के लिए मॉडल उप-नियमों के तहत उल्लिखित विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए विभिन्न मॉड्यूल को शामिल करके किया गया है। यह पैक्स की आर्थिक गतिविधियों के विविधीकरण में भी मदद करता है, जिससे किसान सदस्यों को आय के अतिरिक्त और स्थायी स्रोत प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

सिंगल नेशनल सॉफ्टवेयर नेटवर्क

नई दिल्ली, भारत सरकार 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना को कार्यान्वित कर रही है, जिसमें सभी कार्यात्मक पैक्स को ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर पर लाना, उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना शामिल है। इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय स्तर का कॉमन सॉफ्टवेयर नाबार्ड द्वारा विकसित किया गया है और 21.07.2024 तक 27 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 25,904 पैक्स को ईआरपी सॉफ्टवेयर पर शामिल किया गया है।

पैक्स की व्यवहारिकता बढ़ाने और उन्हें पंचायत स्तर पर जीवंत आर्थिक इकाई बनाने के लिए उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने के लिए, सभी हितधारकों के परामर्श के बाद सरकार द्वारा पैक्स के लिए मॉडल उपनियम तैयार किए गए हैं, इससे पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करके अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में विविधता लाने में सहायता मिलेगी, जिसमें डेयरी, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीज, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीजल वितरण, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हायरिंग सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, उचित मूल्य की दुकानें (एफपीएस), सामुदायिक सिंचाई, व्यवसाय संवाददाता गतिविधियां आदि शामिल हैं। मॉडल उपनियमों को अपनाकर, पीएसीएस ग्रामीण क्षेत्रों में सदस्य किसानों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बहु-सेवा केंद्रों के रूप में काम करने में सक्षम होंगे। वे पैक्स की परिचालन दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने में सहायता करेंगे; किसान सदस्यों को कृषि ऋण और विभिन्न गैर-ऋण सेवाएं प्रदान करके उन्हें आय के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करेंगे। पैक्स के कम्प्यूटरीकरण परियोजना का उद्देश्य पैक्स के लिए मॉडल उप-नियमों के अंतर्गत निर्धारित 25 से अधिक आर्थिक गतिविधियों के लिए एक व्यापक ईआरपी समाधान प्रदान करना है, जिसमें विभिन्न मॉड्यूल जैसे कि अल्पकालिक, मध्यम और दीर्घकालिक ऋणों के लिए वित्तीय सेवाएं, खरीद संचालन, सार्वजनिक वितरण दुकानें (पीडीएस) संचालन, व्यवसाय नियोजन, भंडारण, बिक्री, उधार, परिसंपत्ति प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन आदि शामिल हैं।

अब तक, 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 67,009 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके लिए संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भारत सरकार के हिस्से के रूप में 654.23 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। स्वीकृत पैक्स की संख्या और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आज तक जारी किए गए भारत सरकार के हिस्से का विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न है।

ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर, कॉमन अकाउंटिंग सिस्टम (सीएएस) और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (एमआईएस) के माध्यम से पैक्स के प्रदर्शन में दक्षता लाता है। इसके अलावा, पीएसीएस में प्रशासन और पारदर्शिता में भी सुधार होता है, जिससे ऋणों का तेजी से वितरण, लेन-देन की लागत में कमी, भुगतान में असंतुलन में कमी, डीसीसीबी और एसटीसीबी के साथ निर्बाध लेखा-जोखा होता है। यह किसानों के बीच पैक्स के कामकाज में विश्वसनीयता बढ़ाएगा और इस प्रकार "सहकार से समृद्धि" के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देगा।

MP State Cooperative Union Ltd

E 8 /77, Shahpura , Bhopal (MP) 462039

Email- rajyasanghbpl@yahoo.co.in

Expression of Interest (EOI)

M.P. State Cooperative Union Ltd. Bhopal Invites EOI for :

1. Empanelment of Manpower Outsourcing Agencies.
2. Empanelment of consulting agencies for various projects relating to capacity buildings, studies, research, program implementation policy advocacy in different sectors for the benefit of cooperative sector in particular and other sectors in general.

The detailed terms and conditions of the EOI are given on our website www.mpscu.in.

The interested agencies may apply as per the directives mentioned in the EOI document on or before 27/08/2024 by 5:00 PM in the office of undersigned. The Managing Director reserves the right to cancel this EOI without assigning any reason.

Managing Director

सहकारिता विभाग द्वारा नवाचार कार्यों हेतु चिन्हित जिला नोडल अधिकारियों का 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न

भोपाल। सहकारिता विभाग द्वारा नवाचार कार्यों हेतु चिन्हित जिला नोडल अधिकारियों का 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला दिनांक 01 अगस्त से 03 अगस्त 2024 तक म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन श्री मनोज कुमार सरियाम पंजीयक,सहकारी संस्थायें म.प्र. के द्वारा दीप प्रज्जवलन कर किया गया। इस अवसर पर श्री बृजेश शरण शुक्ला अपर पंजीयक, श्री मनोज सिन्हा, उप सचिव, सहकारिता विभाग श्री मनोज कुमार गुप्ता प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक एवं श्री विमल श्रीवास्तव, संयुक्त आयुक्त नवाचार कक्ष, श्री विनोद सिंह, संयुक्त आयुक्त, श्री अरूण मिश्रा, संयुक्त आयुक्त उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ भेंट कर श्री संजय सिंह महाप्रबंधक, राज्य सहकारी संघ द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री तुमुल सिन्हा, अंकेक्षण अधिकारी व कक्ष प्रभारी नवाचार प्रकोष्ठ, मुख्यालय द्वारा किया गया।

प्रथम दिवस जिला सहकारी बैंकों द्वारा सदस्य समितियों को दी जाने वाली ऋण/आर्थिक सहायता- स्वरूप, प्रावधान, मापदंड एवं प्रक्रियाएं विषय पर श्री के.टी. सज्जन, महाप्रबंधक, अपेक्स बैंक भोपाल, हस्तशिल्प एवं नवाचार की संभावनायें तथा नये आयाम विषय पर श्री अर्चित सहारे, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त हस्तशिल्प नई दिल्ली, हस्तशिल्प सहायता केन्द्र भोपाल, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की वित्तीय सहायता की योजनायें, प्रावधान, मापदंड एवं प्रक्रियाएं विषय पर श्री गौरव कुमार शाक्या, उप निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम भोपाल, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के स्टार्टअप संबंधी प्रक्रियाएं एवं योजनायें विषय पर श्री जयन्त सिंह, सहायक संचालक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संचालनालय भोपाल, उद्यानिकी विभाग की योजनाएं, प्रावधान, मापदंड एवं प्रक्रियाएं विषय पर श्रीमती तृप्ति पाटिल सहायक संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल द्वारा प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

द्वितीय दिवस एक जिला एक उत्पाद संबंधी जिलेवार उत्पादन एवं संबंधित विभागीय योजनाये विषय पर श्री गोपाल सिंह सोलंकी, सहायक संचालक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भोपाल, सौर ऊर्जा- तकनीकी जानकारियां, सोलर पैनल- निर्माण एवं इन्स्टॉलेशन तथा विभिन्न योजनायें विषय पर श्री अजय शुक्ला, कार्यपालन यंत्री, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग भोपाल, पतंजलि एवं सहकारिता विभाग के मध्य समन्वय- संभावनायें एवं आयाम, विभिन्न उत्पादों के पंतजलि के माध्यम से विक्रय की प्रक्रियाएं, प्राकृतिक कृषि तथा अन्य संबंधित विषय पर डॉ. राजेश सक्सेना, वैज्ञानिक सलाहकार मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, पतंजलि, उपभोक्ता संघ के प्रियदर्शिनी स्टोर्स की जानकारी एवं उनमें उत्पादों को विक्रय हेतु रखे जाने की प्रक्रिया एवं प्रावधान विषय पर श्री बी.एस.तोमर, प्रबंधक, राज्य उपभोक्ता संघ मुख्यालय भोपाल द्वारा प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

तृतीय दिवस श्री मनोज कुमार सरियाम पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र., श्री बृजेष शरण शुक्ला, अपर पंजीयक, श्री मनोज कुमार गुप्ता प्रबंध संचालक, अपेक्स बैंक, श्री विमल श्रीवास्तव संयुक्त आयुक्त सहकारिता, श्री संजय मोहन भट्नागर संयुक्त आयुक्त सहकारिता, श्रीमति कृति सक्सेना संयुक्त आयुक्त सहकारिता, श्रीमति अरूणा दुबे संयुक्त आयुक्त सहकारिता, श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक राज्य सहकारी संघ इत्यादि अधिकारियों द्वारा जिलों की समितियों के उत्पादों/कार्यो, स्टॉल/प्रदर्षनी मे अवलोकन किया एवं प्रतिभागियों से वन टू वन जिलेवार चर्चा श्री तुमुल सिन्हा, अंकेक्षण अधिकारी, कक्ष प्रभारी नवाचार प्रकोष्ठ, मुख्यालय द्वारा की गई। प्रशिक्षण/कार्यशाला के संबंध में प्रत्येक प्रतिभागियों से फीडबैक श्री विमल श्रीवास्तव संयुक्त पंजीयक, नवाचार कक्ष द्वारा लिया गया। प्रशिक्षण के समापन्न अवसर पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र पंजीयक श्री मनोज कुमार सरियाम द्वारा प्रदान किये गये। आभार प्रदर्शन श्री रमाशंकर विश्वकर्मा, उपायुक्त द्वारा किया गया। प्रशिक्षण में विशेष सहयोग श्रीमती मीनाक्षी बान, प्राचार्या, श्री जी.पी. मांझी, उप प्रबंधक, श्रीमती रेखा पिप्पल, लेखाधिकारी, श्री संतोष येडे, राज्य समन्वयक, श्रीमति श्रद्धा श्रीवास्तव जिला सहकारी प्रशिक्षक का सहयोग रहा।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से सम्बद्ध

प्रवेश
पहले आयें प्रवेश पायें

PGDCA
(योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण)
कुल फीस 12000/-(6000 प्रति सेमेस्टर)

DCA
(योग्यता -10 +2 उत्तीर्ण)
कुल फीस 10000/- (5000 प्रति सेमेस्टर)

संपर्क :-
सहकारी कम्प्यूटर एवं प्रबंध प्रशिक्षण केंद्र
ई- 8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा, भोपाल
फोन:0755-2926160, 2926159 मो. 9893281971, 8770988938
Website-www.mpscu.in
Email-rajyasanghbpl@yahoo.co.in

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
किला मैदान इंदौर, म.प्र. पिन-452006 - मो. 913139234, 8109186990, 7974058199
Email - ctcindore@rediffmail.com

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।